छत्तीसगढ़ शासन

'लेखे एक दृष्टि में'

2009–10

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़, रायपुर

प्राक्कथन

राज्य सरकार के वार्षिक लेखे मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के साथ पठित नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने हेतु भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी. एण्ड ए. जी) के निर्देशों के अधीन राज्य सरकार के वार्षिक लेखे तैयार किये जाते है एवं उनकी जॉच की जाती है। वार्षिक लेखे में (क) वित्त लेखे तथा (ख) विनियोग लेखे समावेशित होते हैं। वित्त लेखे, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि व लोक लेखे के अन्तर्गत आने वाले लेखों का सार विवरण है। विनियोग लेखे में राज्य विधान सभा द्वारा अनुमोदित किए गए प्रावधानों के विरूद्ध अनुदानवार व्ययों को दर्ज किया जाता है तथा वास्तविक व्यय एवं प्रावधानित निधियों के बीच अन्तरों के लिए टिप्पणियॉ प्रस्तावित की जाती है। राज्य वित्त एवं विनियोग लेखे महालेखाकार द्वारा तैयार किया जाता है।

'**लेखे एक दृष्टि में**' वित्त एवं विनियोग लेखों में दर्शाये गए सरकार के कार्यकलापों को व्यापक रूप से उजागर करता है। इसमें सूचनाओं को संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों एवं ग्राफ्स के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।

आपके सुझाव प्रकाशन को और अधिक उपयोगी बनाने में हमें सहयोग प्रदान करेगा ।

हस्ता/–
(प्रवीण कुमार सिंह)
महालेखाकार

रायपुर

दिनांक : 9 फरवरी, 2011

विषय –सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
I	अधिदृष्टि	4–5
II	लेखे की प्रमुखताऐं	6–19
III	शासकीय राजस्व और व्यय का प्रवाह	20–25
IV	अनुलग्नक	26–28

अध्याय–1

अधिदृष्टि

राज्य सरकार के मासिक लेखे जिला कोषालयों, लोक निर्माण, वन तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डलों आदि द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत किये गए लेखों के आधार पर संकलित एवं समेकित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार वित्त एवं विनियोग लेखे वार्षिक रुप से महालेखाकार द्वारा भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक के निदेशों के अधीन तैयार किया जाता है।

शासकीय लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं :–

भाग – I समेकित निधि

भाग – II आकस्मिकता निधि

भाग – III लोक लेखे

समेकित निधि के मुख्यतः दो प्रभाग है :–

1. राजस्व प्रभाग
2. पूंजी प्रभाग

भाग –I – राजस्व प्रभाग (राजस्व लेखा) करों से आगम और राजस्व के रूप में वर्गीकृत अन्य प्राप्तियों तथा उसमें से किये गये व्ययों से संबंध रखता है, जिसका निवल परिणाम संबंधित वर्ष की राजस्व आधिक्य अथवा कमी को दर्शाता है।

पूंजी प्रभाग में खण्ड 'प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)' पूंजी के स्वरूप की ऐसी प्राप्तियों से संबंध रखता है, जिसका पूंजीगत व्यय से प्रतिसंतुलन नहीं किया जा सकता है।

खण्ड 'व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)' उस व्यय से संबंध रखता है, जो साधारणतः उधार ली गई निधियों से भौतिक और स्थायी प्रकार की ठोस परिसम्पत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें पूंजी के स्वरूप की वे प्राप्तियां भी शामिल होती है, जिन्हें पूँजीगत व्यय को घटाने के लिये प्रयुक्त किया जाता है।

खण्ड ''लोक ऋण, कर्जे एवं पेशगियॉ आदि'' में सरकार द्वारा लिये गए कर्जे तथा उनका प्रतिभुगतान सम्मिलित किया जाता है, अर्थात 'आंतरिक ऋण' और सरकार द्वारा लिये गये ''कर्जे और पेशगियाँ '' (और उनकी वापसी) सम्मिलित है।

भाग–II – आकस्मिकता निधि में भारत के, संविधान के अनुच्छेद 267 के अधीन स्थापित आकस्मिकता निधि से संबंधित लेन–देन लेखाबद्ध किये जाते है।

भाग–III –

लोक लेखे में ऋण (भाग–I में सम्मिलित किये गए ऋण के अतिरिक्त) जमा', 'पेशगियों', 'प्रेषण' और उचंत' से संबंधित लेन–देनों को अभिलिखित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ सरकार के वर्ष 2009–10 के वार्षिक लेखे राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किये गये है। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2009–2010 पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है।

वित्त लेखे

वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और व्ययों के लेखे प्रस्तुत करता है, साथ ही यह राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं, वित्तीय परिणाम, लोक ऋण के लेखाओं एवं लेखाओं में दर्ज शेषों के आधार पर निकाली गई देयताओं और परिसम्पत्तियों को भी प्रदर्शित करता है। शेषों के आंकड़ों में मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आबंटित होने वाले शेष भी सम्मिलित हैं, जिन्हें वित्त लेखे में मोटे अंकों में पृथक परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

वर्ष 2009–10 के दौरान कुल ₹ 20910.44 करोड़ की कुल प्राप्तियों में ₹18153.66 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां (₹11503.91 करोड़ कर राजस्व, ₹3043.01 करोड़ कर भिन्न राजस्व तथा ₹ 3606.74 करोड़ सहायता अनुदान तथा अंशदान) और ₹ 2756.78 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित है।

वर्ष के दौरान कुल संवितरण ₹ 20910.44 करोड़ था, जिसमें ₹ 17265. 44 करोड़ राजस्व लेखा, ₹ 3641.71 करोड़ पूंजीगत लेखा तथा ₹ 3.29 करोड़ अन्तर्राज्यीय परिशोधन के अंतर्गत था।

विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, राज्य विधान सभा द्वारा पारित दत्तमत और भारित राशियों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय तथा वित्त लेखे के पूरक हैं। इस वित्तीय वर्ष में 46 भारित विनियोग तथा 73 दत्तमत अनुदान के लेखे सम्मिलित हैं।

वर्ष के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विनियोग अधिनियम 2009–10 में कुल बजट ₹ 26,175.83 करोड़ के सकल व्यय, जिसमें अनुपूरक बजट के ₹ 26,83.57 करोड़ सम्मिलित है, को प्रायोजित करता है। ₹ 4,91.87 करोड़ की राशि व्यय में कमी के रूप में प्रायोजित की गई वसूलियॉं हैं।

विनियोग लेखे वर्ष 2009–10 में ₹ 26,175.83 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 22,126.74 करोड़ के सकल संवितरण को प्रदर्शित करता है, परिणामतः ₹ 40,49.09 करोड़ की बचत परिलक्षित हुई । इसमें से ₹ 31,11.11 करोड़ (7.68 प्रतिशत) वित्त विभाग द्वारा नियंत्रित (मांग संख्या 06–वित्त विभाग से संबंधित व्यय तथा ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा) अनुदानों के अंतर्गत था।

व्यय में कमी के रूप में की गई वसूलियां ₹ 5,64.73 करोड़ थी, जो कि बजट अनुमानों के साथ ही ₹ 72.86 करोड़ की कमी को भी प्रतिबिम्बित करती है।

अध्याय – II
लेखे की प्रमुखताएं

(₹ करोड़ में)

		बजट अनुमान 2009–10	वास्तविक आंकड़े 2009–10	प्रतिशत	
				वास्तविक बजट प्रावधान	वास्तविक स.रा.घ.उ. (@)
1.	**राजस्व प्राप्तियां**	**18897.22**	**18153.66**	**96.06**	**16.83**
(क)	कर राजस्व	12493.35	11503.91	92.08	10.67
(ख)	करत्तर राजस्व	2745.34	3043.01	110.84	2.82
(ग)	सहायता अनुदान तथा अंशदान	3658.53	3606.74	98.58	3.34
2.	**पूंजीगत प्राप्तियां**	**3027.21**	**2756.78**	**91.06**	**2.56**
(क)	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	749.40	992.43	132.43	0.92
(ख)	अन्य प्राप्तियां	..	5.35	..	0.01
(ग)	उधार और अन्य दायित्व (#)	2277.81	1759.00	77.22	1.63
3.	**कुल प्राप्तियां (1 + 2)**	**21924.43**	**20910.44**	**95.38**	**19.39**
4.	**आयोजनेतर व्यय** (एन.पी.ई.)	**10038.97**	**10457.76**	**104.17**	**9.70**
(क)	राजस्व लेखे का आयोजनेत्तर व्यय	10024.32	10447.64	104.22	9.69
(ख)	पूंजीगत लेखे का आयोजनत्तर व्यय	14.65	10.12	69.08	0.01
5.	**ब्याज अदायगी पर आयोजनेतर व्यय**	**1079.02**	**1094.86**	**101.46**	**1.02**
6.	**योजना व्यय (पी. ई.)**	**12172.13**	**10452.68**	**85.87**	**9.69**
(क)	राजस्व लेखे का योजना व्यय	8066.74	6817.80	84.52	6.32
(ख)	पूंजीगत लेखे का योजना व्यय	4105.39	3634.88	88.53	3.37
7.	**कुल व्यय (4 + 6)**	**22211.10**	**20910.44**	**94.14**	**19.39**
8.	**राजस्व व्यय { 4 (क) + 6 (क) }**	**18091.06**	**17265.44**	**95.43**	**16.01**
9.	**पूंजीगत व्यय { 4 (ख) + 6 (ख) } (*)**	**4120.04**	**3645.00**	**88.47**	**3.38**
10.	**राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (–) (8–1 अथवा 1–8)($)**	**806.16**	**888.22**	**110.18**	**0.82**
11.	**राजकोषीय आधिक्य/घाटा { 1 +2 (क) + 2 (ख) –7 }**	**(–)2564.48**	**(–)1759.00**	**68.59**	**1.63**

(@) सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 10,78,48.23 करोड़ ।

(#) निवल लोक ऋण (₹ 635.64 करोड़), लोक लेखे (₹ 916.48 करोड़) नगद शेष (₹ 206.38 करोड). तथा आकस्मिकता निधि ₹ 0.50 करोड़ ।

(*) पूंजीगत लेखे में ₹ 2754.92 करोड़ पूँजीगत व्यय तथा ₹ 886.79 करोड़ राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं पेशगियॉ एवं अंतर्राज्यीय परिशोधन (₹ 3.29 करोड़) सम्मिलित है ।

($) बजट प्रावधान में राजस्व आधिक्य ₹ 806.16 करोड़ के परिप्रेक्ष्य में राजस्व आधिक्य ₹ 888.22 करोड़ रहा ।

प्राप्तियां तथा संवितरण

वर्ष 2009–2010 के लेखों को निम्नलिखित तालिका में संक्षेपीकृत किया गया है :–

(₹ करोड़ में)

कुल प्राप्तियां	**20910.44**	**कुल संवितरण**	**20910.44**
राजस्व प्राप्तियां	18153.66	राजस्व संवितरण	17265.44
पूंजीगत प्राप्तियां	2756.78	पूंजीगत संवितरण	3645.00

प्राप्तियां:–

राजस्व प्राप्तियां

सकल कर राजस्व ₹ 11503.91 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व ₹ 3043.01 करोड़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कमशः 10.67 प्रतिशत तथा 2.82 प्रतिशत था। राजस्व में मुख्य अंशदान केन्द्रीय उत्पाद, निगमकर, सीमा शुल्क तथा सेवाकर के अलावा आय पर कर का था।

बजट अनुमान की तुलना में वर्ष के दौरान निवल कर प्राप्तियां ₹ 989.44 करोड़ कम थी, जो मुख्यतः निगम कर से भिन्न आय पर कर तथा बिक्री, व्यापार आदि पर कर में वृद्धि के कारण थी।

राजस्व प्राप्तियां तथा सहायता अनुदान तथा अंशदान

कुल प्राप्तियों में करों का सम्बंधित अंश, करेत्तर राजस्व, सहायता अनुदान तथा अंशदान का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक प्राप्तियां	कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता
क) कर राजस्व	**11503.91**	**63.37**
आय और व्यय पर कर (*)	2815.86	15.51
पूंजीगत लेन–देनों तथा सम्पत्ति पर कर	746.89	4.12
वस्तुओं और सेवाओं पर कर	7941.16	43.74
ख) कर भिन्न राजस्व	**3043.01**	**16.76**
राजकोषीय सेवायें		
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ	221.14	1.22
सामान्य सेवायें	139.90	0.77
सामाजिक सेवायें	72.25	0.40
आर्थिक सेवायें	2609.72	14.37
ग) सहायता अनुदान तथा अंशदान	**3606.74**	**19.87**
योग – राजस्व प्राप्तियां	**18153.66**	**100.00**

राजस्व प्राप्तियां तथा सहायता अनुदान तथा अंशदान को दर्शाने वाला पाई चार्ट :–

(*) संघ सरकार से प्राप्त आयकर का अंश ₹ 10,04.24 करोड़ था।

पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 27,56.78.करोड़ (उधार के ₹ 9,92.43 करोड़ तथा पूंजी रिटायरमेंट ₹ 2.31 करोड़ तथा अंतर्राज्यीय परिशोधन ₹ 3.04 करोड़ सम्मिलित) थी। बजट अनुमानों की तुलना में पूंजीगत प्राप्तियों में कुल ₹ 2,70.43 करोड़ की कमी थी। कमी मुख्यतः उधार और अन्य दायित्व के अंतर्गत थी।

संवितरण –

राजस्व संवितरण

राजस्व संवितरण (निवल) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 16.01 प्रतिशत था। यह बजट अनुमानों से ₹ 8,25.62. करोड़ कम था (₹ 4,23.32 करोड़ योजनेतर के अंतर्गत एवं (–) ₹ 12,48.94 करोड़ योजनागत के अंतर्गत)

पूंजीगत संवितरण

पूंजीगत संवितरण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.38 प्रतिशत था। आयोजनेतर के अंतर्गत ₹ (–) 4.53 करोड़ तथा आयोजना के अंतर्गत ₹ (–) 4,70.51 करोड़ न्यून संवितरण के कारण यह बजट अनुमानों से ₹ 4,75.04 करोड़ कम था।

योजनागत संवितरण

वित्तीय वर्ष 2009–2010 के दौरान कुल योजनागत संवितरण ₹ 10,452.68 करोड़ था, जिसमें राज्य योजनागत संवितरण ₹ 76,88.64 करोड़, केन्द्र योजनागत संवितरण ₹ 18,73.96 करोड़, योजनागत ऋण एवं अग्रिम ₹ 8,86.79 करोड़ तथा ₹ 3.29 करोड़ अंतर्राज्यीय परिशोधन लेखे शामिल है।

योजनेतर संवितरण

राजस्व के अंतर्गत ₹ 1,04,47.64 करोड़ तथा पूंजीगत के अंतर्गत ₹ 10.12 करोड़ से गठित 2009–2010 के दौरान योजनेत्तर संवितरण ₹ 1,04,57.76 करोड़ था।

व्यय का प्रक्षेत्रवार वितरण तथा इसकी कुल राजस्व व्यय के साथ प्रतिशतता

व्यय का प्रक्षेत्रवार वितरण तथा इसकी कुल राजस्व व्यय के साथ प्रतिशतता नीचे दी गई है :–

(₹ करोड़ में)

घटक	*राशि*	*कुल राजस्व व्यय से प्रतिशतता*
क– राज्य के अंग	**141.40**	**0.82**
ख–राजकोषीय सेवायें	**371.55**	**2.15**
(i) आय और व्ययों पर करों का संग्रहण	..	...
(ii) संम्पत्ति और पूंजीगत लेन–देनों पर करों का संग्रहण	148.57	0.86
(iii) सेवाओं और वस्तुओं पर करों का संग्रहण	222.38	1.29
(iv) अन्य राजकोषीय सेवायें	0.60	..
ग– ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	**1194.86**	**6.92**
घ– प्रशासकीय सेवायें	**1408.11**	**8.15**
ङ– पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें	**1233.84**	**7.15**
च– सामाजिक सेवायें	**8023.54**	**46.47**
छ– आर्थिक सेवायें	**4423.15**	**25.62**
ज– सहायता अनुदान तथा अंशदान	**468.99**	**2.72**
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	**17265.44**	**100.00**

राजस्व व्यय के अंतर्गत मुख्य भागों को प्रदर्शित करने वाला पाई चार्ट

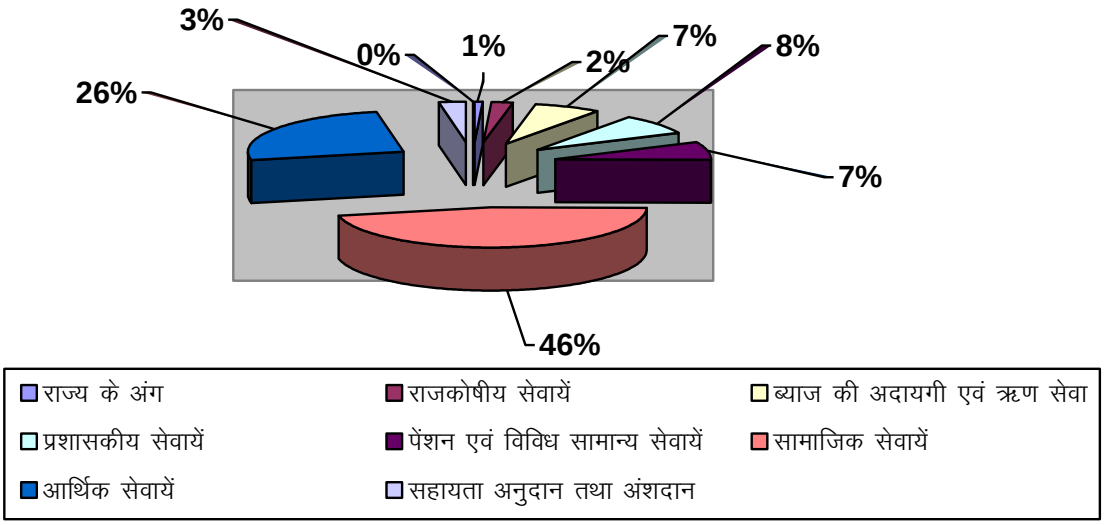

राजस्व व्यय का प्रवाह

कुछ प्रमुख प्रक्षेत्रों में 2005–06 से 2009–10 के मध्य व्यय की प्रवृति नीचे की तालिका में दर्शाई जा रही है ।

चयनित क्षेत्रों में राजस्व व्यय का विवरण :–

(₹ करोड़ में)

	2005–06	% बजट अनुमान	2006–07	% बजट अनुमान	2007–08	% बजट अनुमान	2008–09	% बजट अनुमान	2009–10	% बजट अनुमान
ख सामाजिक सेवायें										
i) शिक्षा	1224.07	98.77	1408.07	88.12	1810.10	88.94	2319.95	85.15	3171.62	78.31
ii)स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	292.87	81.94	341.97	70.40	395.42	66.83	507.91	66.99	693.67	80.76
ग आर्थिक सेवायें										
i) कृषि एवं संबद्ध सेवाएं	989.88	98.12	910.73	87.66	1438.14	86.57	1672.18	90.19	2327.53	88.92
ii)ग्रामीण विकास	577.85	103.26	643.77	78.36	838.86	99.38	872.19	98.63	827.30	72.52
iii) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	123.00	141.01	136.24	81.76	148.81	142.85	192.25	245.85	298.25	149.71
iv) ऊर्जा	136.68	94.86	183.49	45.36	171.35	69.85	195.65	108.30	213.40	100.00
v) परिवहन	161.65	120.66	230.52	90.48	347.33	95.75	344.98	100.86	462.53	101.58
vi) सामान्य आर्थिक सेवायें	21.19	127.63	28.46	93.36	29.91	93.56	43.40	99.26	50.28	98.24

ऋण तथा देयतायें

आंतरिक ऋण ₹ 87,04.88 करोड़ तथा केन्द्र सरकार से लिये गये ऋण और अग्रिम ₹ 23,07.51 करोड़ मिलाकर वर्ष 2009–10 के अंत तक लोक ऋण ₹ 1,10,12.39 करोड़ शेष था, और लोक लेखे के अंतर्गत लेखांकित किये गये अन्य दायित्व ₹ 4920.55 करोड़ था।

जमा शीर्षों के तदनुरूप ही अल्प बचत संग्रहण, भविष्य निधि तथा जमाओं के संदर्भ में राज्य भी एक बैंकर तथा न्यासी के रूप में कार्य करता है। 2009–10 के दौरान राज्य सरकार की ऐसी देयताओं के संदर्भ में कुल वृद्धि ₹ 294.37 करोड़ थी।

ऋण एवं अन्य देयताओं पर ब्याज अदायगी कुल ₹ 1094.86 करोड़ थी, जो कुल राजस्व व्यय ₹ 1,72,65.44 करोड़ का 6.34 प्रतिशत थी (आंतरिक ऋण ₹ 6,80.65 करोड़ तथा केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम ₹ 1,77.67 करोड़ और अन्य देयताओं पर ₹ 2,36.54 करोड़)। 2009–10 के दौरान किये गये ब्याज की अदायगी गतवर्ष की तुलना में ₹ 17.33 करोड़ की वृद्धि हुई।

निवेश तथा वापसियां

नवम्बर 2001 से 2009–10 के वर्षान्त तक गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में राज्य की अंश पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 251.67 करोड़ था। एकीकृत राज्य मध्यप्रदेश द्वारा किये गये निवेशों का प्रभाजन लम्बित होने के कारण निवेशों पर प्राप्त लाभांश आय का आकलन नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम

2009–10 के वर्षान्त तक राज्य सरकार द्वारा ₹ 15,29.89 करोड़ के ऋण दिये गये। राज्य सरकार द्वारा मार्च 2010 के अंत तक ₹ 8,96.79 करोड़ ऋण एवं अग्रिमों का भुगतान किया गया एवं ₹ 992.43 करोड़ के ऋणों की वसूली हुई।

स्थानीय तथा अन्य निकायों को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों आदि को 2009–10 के दौरान ₹ 28,89.45 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई, जो गत वर्ष 2008–09 की तुलना में राशि ₹ 326.40 करोड़ अधिक रही। वर्ष 2009–10 के दौरान शिक्षा हेतु ₹ 83.90 करोड, कृषि हेतु ₹ 26.50 करोड़, विद्युत/ऊर्जा हेतु ₹ 65.05 करोड़ रूपये, नगर निगम तथा नगरपालिकाओं को ₹ 5,77.71 करोड़, पंचायती राज संस्थानों को ₹ 15,20.71 करोड़ तथा अन्य संस्थानों को ₹ 615.58 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई।

विनियोग लेखे

राज्य विधायिका द्वारा पारित विनियोग अधिनियम राज्य सरकार के विशिष्ट सेवाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों की क्रियाकलापों के लिये राज्य समेकित निधि से विनिर्दिष्ट राशि विनियोजन करने हेतु प्राधिकृत करता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन राज्य विधानसभा द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों (2 अनुपूरक अनुदान सहित) वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिये कुल ₹ 2,61,75.83 करोड़ राज्य संचित निधि से व्यय के लिये प्राधिकृत किये गये। सकल व्यय ₹ 2,21,26.74 करोड़, जिसमें राजस्व व्यय ₹ 1,75,70.61 करोड़, पूंजीगत व्यय ₹ 45,56.13 करोड़, ऋणों के पुनर्भुगतान ₹ 6,51.57 करोड़ तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं पेशगियाँ ₹ 8,96.79 करोड़ तथा अन्तर्राज्यीय परिशोधन ₹ 3.29 करोड़ सम्मिलित है। राजस्व/पूंजीगत/लोकऋण/ऋण तथा अग्रिम अनुभागों के अंतर्गत राज्य विधान सभा द्वारा आबंटित की गई कुल अनुदानों/विनियोगों के संदर्भ में यथास्थिति अनुसार बचत निम्नानुसार है :–

विनियोग लेखे का सार 2009–10

(₹ करोड़ में)

सरल क्र	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान / विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत(–)/ आधिक्य(+)
1.	राजस्व					
	दत्तमत	1,71,27.43	19,67.22	1,90,94.65	1,61,57.67	–29,36.98
	भारित	13,94.78	33.74	14,28.52	14,12.94	–15.58
2.	पूंजीगत					
	दत्तमत	36,29.39	2,08.94	38,38.33	29,95.57	–8,42.76
	भारित	0.56	8.66	9.22	8.91	–0.31
3.	लोक ऋण					
	भारित	7,89.29	..	7,89.29	6,51.57	–1,37.72
4.	ऋण एवं अग्रिम					
	दत्तमत	5,50.81	4,65.00	10,15.81	8,96.79	–1,19.02
5.	अन्तर्राज्यीय परिशोधन					
	दत्तमत	0.01	..	0.01	3.29	+3.28
	योग	2,34,92.27	26,83.56	2,61,75.83	2,21,26.74	–40,49.09

दत्तमत तथा भारित व्यय का रुझान

वर्ष 2009–10 के सकल व्यय ₹ 2,21,26.74 करोड़ गत वर्ष के व्यय से ₹ 42,16.96 करोड़ (19.06 प्रतिशत) अधिक था। चालू वर्ष के कुल व्यय में से 90.63 प्रतिशत दत्तमत व्यय तथा शेष 9.37 प्रतिशत भारित व्यय रहा। विगत वर्ष में 89.60 प्रतिशत दत्तमत व्यय तथा शेष 10.40 प्रतिशत भारित व्यय था।

बचत

वर्ष 2009–10 के दौरान अनुदान/विनियोग के अंतर्गत ₹ 42,18.32 करोड़ की बचत तथा ₹ 1,69.23 करोड़ का व्यय आधिक्य रहा। इस प्रकार अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत निवल बचत ₹ 40,49.09 करोड़ रही।

कुछ चयनित अनुदानों में अनवरत बचत के विवरण नीचे दिये जा रहे हैं :–

राजस्व अनुभाग –

(₹ करोड़ो में)

वर्ष	अनुदानों का विवरण	कुल प्रावधान	बचत	बचत की कुल प्रावधान से प्रतिशतता
2005–2006	06–वित्त विभाग से संबंधित व्यय	7,80.33	3,09.71	39.68
2006–2007		8,90.27	2,52.78	28.39
2007–2008		10,99.50	4,01.42	36.51
2008–2009		10,89.49	1,42.68	13.09
2009–2010		14,70.30	2,08.98	14.21
2005–2006	27– स्कूल शिक्षा	7,10.42	82.51	11.61
2006–2007		7,64.04	52.88	6.92
2007–2008		10,00.11	1,23.99	12.40
2008–2009		12,95.73	1,97.58	15.25
2009–2010		19,79.53	4,49.03	22.68
2005–2006	39–खाद्य,नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	3,90.90	42.09	10.76
2006–2007		2,44.17	48.68	19.94
2007–2008		6,79.54	1,28.73	18.94
2008–2009		10,47.33	8.98	0.85
2009–2010		15,94.75	24.90	1.56
2005–2006	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	8,00.85	1,93.15	24.11
2006–2007		9,41.51	2,25.00	23.90
2007–2008		15,01.42	3,85.79	25.70
2008–2009		20,53.54	3,58.16	17.44
2009–2010		24,94.54	4,75.15	19.05

पूंजीगत अनुभाग –

(₹ करोड़ो में)

वर्ष	अनुदानों का विवरण	कुल प्रावधान	बचत	बचत की कुल प्रावधान से प्रतिशतता
2005–2006	लोक ऋण	8,17.31	3,73.76	45.73
2006–2007		4,85.57	2,19.26	44.97
2007–2008		6,22.03	63.64	10.23
2008–2009		6,83.10	1,93.74	28.36
2009–2010		7,89.29	1,37.72	17.45
2005–2006	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4,01.32	86.35	21.51
2006–2007		4,72.94	99.37	21.01
2007–2008		6,46.92	99.16	15.33
2008–2009		8,62.18	1,75.47	20.35
2009–2010		8,55.47	1,80.08	21.05

आधिक्य

₹ 1,69.23 करोड़ का आधिक्य निम्नलिखित 14 अनुदानों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ–

(₹ करोड़ो में)

सरल क्र	अनुदान /विनियोग का नाम तथा संख्या	व्यय की प्रकृति	अनुदान/विनियोग की राशि		वास्तविक व्यय		आधिक्य	
			राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजी गत	राजस्व	पूंजीगत
1.	03–पुलिस	दत्तमत	9,20.79	..	10,07.95	..	87.16	..
		भारित	0.26	..	0.34	..	0.08	..
2.	06–वित्त विभाग से संबंधित व्यय	दत्तमत	..	0.21	..	3.29	..	3.08
3.	12–ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	भारित	1,23.82	..	1,29.97	..	6.15	..
4.	13–कृषि	भारित	0.07	..	0.09	..	0.02	..
5.	22–नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय निकाय	दत्तमत	1.88	..	1.93	..	0.05	..
6.	23–जल संसाधन विभाग	दत्तमत	2,16.82	..	2,20.37	..	3.55	..
7.	24–लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल.	दत्तमत	3,28.11	..	3,49.71	..	21.60	..

(₹ करोड़ो में)

सरल क	अनुदान /विनियोग का नाम तथा संख्या	व्यय की प्रकृति	अनुदान/विनियोग की राशि		वास्तविक व्यय		आधिक्य	
			राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
8.	25–खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	दत्तमत	75.31	..	77.41	..	2.10	..
9.	43–खेल और युवा कल्याण	भारित	..	..	0.14	..	0.14	..
10.	49–अनुसूचित जाति कल्याण	दत्तमत	33.07	..	33.97	..	0.90	..
11.	64–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	दत्तमत	..	3,63.76	..	3,98.12	..	34.36
12.	67–लोक निर्माण कार्य– भवन	भारित	0.10	..	0.12	..	0.02	..
13.	76–लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	दत्तमत	..	3,00.00	..	3,04.12	..	4.12
14.	80–त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	दत्तमत	9,79.02	..	9,84.92	..	5.90	..
योग		**दत्तमत**	**25,55.00**	**6,63.97**	**26,76.26**	**7,05.53**	**1,21.26**	**41.56**
		भारित	**1,24.25**	**..**	**1,30.66**	**..**	**6.41**	**..**

बचतों का समर्पण

बजट प्रावधानों का पूर्णतः उपयोग न करने तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व वित्त विभाग को समर्पित न करने के कारण वर्ष 2009–10 में सकल बचत ₹ 40,49.09 करोड़ में से ₹ 2274.48 करोड़ का समर्पण किया गया ।

व्यय का अतिरेक

वर्ष के व्यय का नियमित प्रवाह बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है। अत्यधिक व्यय, विशेषतः वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है। फिर भी यह ध्यान में आया है, कि अधोलिखित प्रकरणों में मार्च 2010 के दौरान किया गया व्यय, वर्ष के दौरान किये गए कुल व्यय के 51 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की सीमा के मध्य था, जो वित्तीय वर्ष के अंत में बजट प्रावधान प्रयुक्त किये जाने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

राजस्व शीर्ष :

लेखाशीर्ष	विवरण	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	तृतीय त्रैमासिक	चतुर्थ त्रैमासिक	योग	मार्च के दौरान व्यय	2009–10 के कुल व्यय से मार्च 2010 का प्रतिशत
		(₹ करोड़ो में)						
2801	बिजली	–	–	0.80	196.90	197.70	125.86	63.66
2810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	–	2.01	1.00	21.74	24.75	21.74	87.81
2852	उद्योग	0.82	0.79	1.37	8.31	11.29	7.76	68.73
2885	उद्योगों तथा खनिज पर अन्य परिव्यय	–	–	–	0.30	0.30	–	100
3275	अन्य संचार सेवाएं	–	–	0.04	6.10	6.14	6.10	99.35
3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	–	0.42	1.30	4.02	5.74	4.02	70.03

पूंजीगत व्यय शीर्ष

लेखा .शीर्ष	विवरण	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	तृतीय त्रैमासिक	चतुर्थ त्रैमासिक	योग	मार्च के दौरान व्यय	2009–10 के कुल व्यय से मार्च 2010 का प्रतिशत
		(₹ करोड़ो में)						
4216	आवास	1.52	2.55	6.15	19.93	30.15	17.57	58.27
4217	शहरी विकास	–	29.75	64.39	211.15	305.29	211.15	69.16
4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3.74	7.13	20.33	128.88	160.08	120.27	75.13
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	–	–	0.09	0.47	0.56	0.47	83.93
4408	खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार	–	–	–	0.05	0.05	0.04	80.00
4425	सहकारिता	–	–	0.99	5.91	6.90	5.00	72.46
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यकम	0.60	31.24	28.44	83.39	143.67	79.53	55.35
4851	ग्राम एवं लघु उद्योग	–	0.02	0.24	32.28	32.54	31.33	96.28
4853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	–	–	–	58.52	58.52	58.52	100
5452	पर्यटन	2.50	–	–	10.50	13.00	10.50	80.76

लेखों का पुनर्मिलान

लेखे की शुद्धता एवं विश्वसनियता, अन्य बातों के अलावा, समय पर विभागीय ऑकड़ों तथा लेखा कार्यालय के ऑकड़ों के मिलान पर निर्भर करता है। नियंत्रण अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि विभागीय ऑकड़ों का महालेखाकार की पुस्तकों में संकलित ऑकड़ों से वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिये जाने के पूर्व मिलान कर लेना चाहिये। ऑकड़ों का मिलान प्रायः मासिक रूप से किया जाना चाहिए। वर्ष 2009–10 में विभागीय अधिकारियों द्वारा ऑकड़ों के मिलान में विलंब किया गया। 124 नियंत्रण अधिकारियों में से 38 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा आंशिक मिलान कार्य किया गया एवं 71 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा मिलान कार्य बिल्कुल नहीं किया गया जैसा कि अनुलग्नक 'क' एवं 'ख' में दर्शाया गया है।

कोषालयों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

महालेखाकार कार्यालय को कोषालयों, निर्माण मण्डलों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं वन मण्डलों द्वारा मासिक लेखे प्रस्तुत किये गये। वर्ष 2009–10 में कुछ कोषालयो द्वारा मासिक लेखों के विलम्ब से प्रस्तुत करने की जानकारी निम्नानुसार है :–

	विभाग	देर से प्राप्त लेखाओं की संख्या	विलम्ब की अवधि अनुसार लेखाओं की संख्या	
			1–5 दिवस	5 दिवस से अधिक
कार्य विभाग	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	47	16	31
	लोक निर्माण विभाग	60	24	36
	जल संसाधन विभाग	91	39	52
	वन लेखे विभाग	107	101	6
	कोषालय लेखे	18	11	7

कोषालयों का निरीक्षण

वर्ष 2009–10 के दौरान निम्नलिखित जिला कोषालयों तथा उप कोषालयों का निरीक्षण किया गया।

सरल कमांक	जिला कोषालय	उप–कोषालय
1.	रायपुर	1. बलौदाबाजार 2. भाटापारा 3. देवभोग 4. गरियाबंद 5. आरंग 6. बिलाईगढ़ 7. कसडोल
2.	सिटी रायपुर	
3.	राजनाँदगांव	1. अम्बागढ़ चौकी 2. मोहला 3. डोंगरगढ़ 4. खैरागढ़ 5. छुईखदान
4.	कबीरधाम (कवर्धा)	
5.	कोरिया	1. जनकपुर 2. मनेन्द्रगढ़
6.	महासमुंद	3. सराईपाली
7.	बस्तर (जगदलपुर)	1. केशकाल 2. कोण्डागाँव
8.	रायगढ़	1. घरघोड़ा 2. खरसिया 3. धरमजयगढ़ 4. सारंगढ़

सरल कमांक	जिला कोषालय	उप–कोषालय
9.	दुर्ग	1. भिलाई 2. बालोद 3. दल्लीराजहरा 4. बेमेतरा 5. साजा
10.	जांजगीर(चांपा)	1. डभरा 2. शक्ति
11.	कोरबा	1. कटघोरा
12.	दन्तेवाड़ा	1. कोन्टा 2. सुकमा
13.	बिलासपुर	1. मुंगेली 2. पेण्ड्रारोड
14.	धमतरी	
15.	जशपुर	1. बगीचा 2. पत्थलगाँव
16.	कांकेर	1. भानुप्रतापपुर 2. चरामा 3. अंतागढ़
17.	सरगुजा(अम्बिकापुर)	1. कुसमी 2. रामानुजगंज 3. सूरजपुर 4. वाड्रफनगर 5. सीतापुर
18.	बीजापुर	1. भोपालपट्टनम
19.	नारायणपुर	

अध्याय – *III*

शासकीय राजस्व और व्यय का प्रवाह

वर्ष 2005–06 से 2009–10 तक के शासकीय राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय के प्रवाह को नीचे दिखाये गये हैं

राजस्व प्राप्तियां

वर्ष	कर राजस्व	करेतर राजस्व	सहायक अनुदान और अंशदान	सकल राजस्व प्राप्तियां	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (1)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सकल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता
				(₹ करोड़ में)		
2005–06	6559.73	1229.53	1049.23	8838.49	50998.84	17.33
2006–07	8244.50	1451.34	1757.41	11453.24	64706.28	17.70
2007–08	9653.08	2020.45	2205.12	13878.65	79418.50	17.47
2008–09	10851.63	2202.21	2608.92	15662.76	95204.19	16.45
2009–10	11503.91	3043.01	3606.74	18153.66	107848.23	16.83

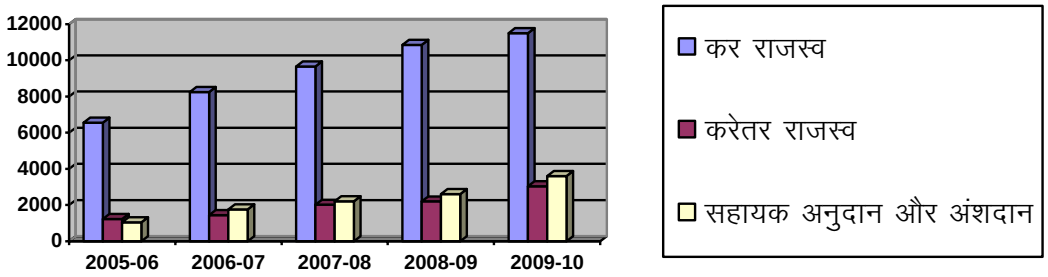

राजस्व व्यय

वर्ष	राजस्व व्यय (वास्तविक)	कुल व्यय	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (1)(*)	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि			सकल राज्य घरेलू उत्पाद से शासकीय व्यय की प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)			राजस्व व्यय	कुल व्यय	सकल घरेलू उत्पाद	
2005–06	7457.14	9291.53	50998.84 (P)	4.99	9.37	12.87	17.00
2006–07	8802.44	11771.42	64706.28 (P)	18.04	26.69	11.29	26.87
2007–08	10839.86	14472.89	79418.50 (P)	23.15	22.93	16.74	22.74
2008–09	13793.70	17226.08	95204.19 (P)	27.25	19.03	19.63	19.88
2009–10	17265.44	20907.15	107848.23 (A)	25.47	21.38	13.28	13.28

(P) (%) अनन्तिम अनुमान (A)Advanced

(1) साधन लागत पर राज्य की भौगोलिक सीमा में उत्पन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद परिभाषित किया गया है जो या तो उपभोग के लिए अथवा धन की वृद्धि के लिए उपलब्ध है ।

(*) वर्ष 2005–06 से वर्ष 2008–09 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े क्रमशः ₹ 51921 करोड़ , ₹ 57781,54 करोड़ , ₹ 67454,63 करोड़. एवं ₹ 80698,41 करोड़ क्रमशः दर्शाये गये है। वर्ष 2009–10 में पुनरीक्षित आंकड़े प्राप्त होने के फलस्वरूप इन आंकड़ो में परिवर्तन किया गया है।

(%) **(P) अनन्तिम अनुमान की गणना औसत आधार पर की गई । सरकारी आंकड़े तैयार नहीं थे ।**

राज्य व्यय के प्रमुख क्षेत्रों में हुई वृद्धि/कमी निम्न तालिका में दर्शायी गई है :–

व्यय के क्षेत्र	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के व्यय में वृद्धि(+)/कमी(–) की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)			
ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	1011.54	1075.53	1240.18	1177.53	1294.86	9.96
पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं	461.63	624.75	684.55	930.84	1233.84	32.55
प्रशासनिक सेवाएं	503.22	619.45	739.01	1029.91	1408.11	36.72
कृषि एवं सम्बंद्ध क्रिया कलाप	989.88	910.73	1438.14	1672.18	2327.54	39.19
ग्रामीण विकास	577.85	643.77	838.86	872.19	827.30	(–)5.15
ऊर्जा	136.68	183.49	171.35	195.65	213.40	9.07
उद्योग एवं खनिज	––	87.15	145.31	181.32	231.97	27.93
परिवहन	––	230.52	347.33	344.98	462.53	34.08

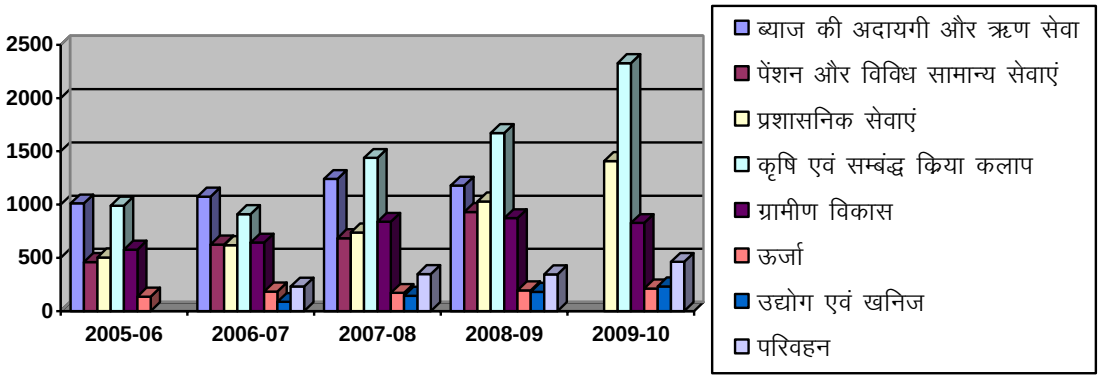

शासकीय लेखा खाते में आधिक्य / घाटा

वर्ष के लिये कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) को वर्ष की कुल प्राप्तियों (राजस्व और ऋण–भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां) के विरूद्ध निवल कर आधिक्य/घाटा को पृथक खाता 'शासकीय लेखा' में अंतरित किये जाते हैं । इस प्रकार 'शासकीय लेखा' खाता शासन के कार्यों का संचयी आधिक्य/घाटे को प्रदर्शित करता है । विगत पांच वर्षो के 'शासकीय लेखा' खाते का विवरण नीचे दिया जा रहा है:–

वर्ष	राजस्व शीर्ष			पूंजीगत शीर्ष			अन्य शीर्ष	वर्ष के लिये घाटा(–)/आधिक्य(+)
	प्राप्तियां	संवितरण	घाटा(–)/आधिक्य(+)	प्राप्तियां	संवितरण	घाटा(–)/आधिक्य (+)		
				(₹ करोड़ में)				
2005–06	8838.49	7457.14	1381.35	0.00	1834.39	(-)1834.39	0.00	(-)453.04
2006–07	11453.24	8802.44	2650.80	0.00	2198.10	(-)2198.10	0.00	(-)452.70
2007–08	13878.65	10839.86	3038.79	26.96	3130.69	(–)3103.73	0.00	(–)64.94
2008–09	15662.76	13793.70	1869.06	1.78	2940.16	(–)2938.38	0.00	(–)1069.32
2009.–10	18153.66	17265.44	888.22	2.31	2744.92	(–)2742.61	–	(–)1854.39

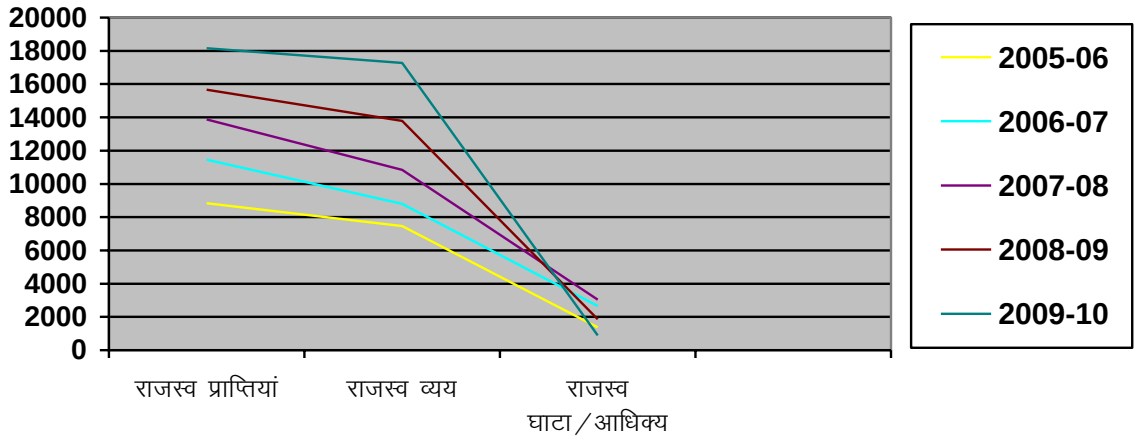

देयताएं

राज्य शासन की देनदारियां वर्ष 2008–09 में ₹ 1,47,80.03 करोड़ थी, जो वर्ष 2009–10 में बढ़कर ₹ 1,59,32.94 करोड़ हुई। इस तरह देनदारियां पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 11,52.91 करोड़ की वृद्धि हुई। लोक ऋणों के अंतर्गत राज्य सरकार की आंतरिक ऋण तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है। वर्ष 2008–09 में देयताएं ₹ 1,03,76.75 करोड़ थी, जबकि वर्ष 2009–10 में बढ़कर ₹ 1,10,12.39 करोड़ हो गई । इस तरह गत वर्ष की तुलना में ₹ 6,35.64 करोड़ की वृद्धि हुई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा राज्य सरकारों को राज्य समेकित निधि की प्रतिभूतियों पर राज्य विधान सभा द्वारा निर्धारित सीमा तक ऋण लेने का अधिकार प्रदान करती है।

राज्य सरकार की कुल देनदारियां तथा लोक ऋण का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	आंतरिक ऋण	केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम	कुल लोक ऋण	बीमा/पेंशन निधियां	भविष्य निधियां	अन्य देयताएं	कुल देयताएं (*)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल देयताओं का प्रतिशत
	(₹ करोड़ में)								
2005–06	7827.75	2230.77	10058.52	365.02	1198.22	1648.15	13269.91	50998.84(P)	26.02
2006–07	8503.42	2272.81	10776.23	396.77	1179.40	1760.30	14112.70	64706.28(P)	21.81
2007–08	8374.02	2105.75	10479.77	427.87	1200.59	2403.38	14511.61	79418.50(P)	18.27
2008–09	8176.07	2200.68	10376.75	462.89	1239.94	2700.44	14780.03	95204.19(P)	15.52
2009–10	87,04.88	23,07.51	1,10,12.39	4,94.33	15,04.04	29,22.17	1,59,32.94	107848.23(A)	14.77

(*) अल्प बचतें, भविष्य निधियां, बिना ब्याज युक्त दायित्व जैसे कि स्थानीय निधियों में जमा, अन्य पृथक रक्षित निधियां इत्यादि

राज्य भविष्य निधि

राज्य भविष्य निधि से लेन–देनों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियां	भुगतान	वर्ष के लिये निवल अभिवृद्धि	अंत शेष	भविष्य निधि के शेष पर भारित ब्याज
	(₹ करोड़ में)					
2005–06	1216.12	346.88	364.78	(-)17.90	1198.22	121.42
2006–07	1201.50	340.66	362.76	(-) 22.10	1179.40	120.48
2007–08	1180.18	392.29	371.88	20.41	1200.59	121.93
2008–09	1201.23	411.54	372.83	38.71	1239.94	126.31
2009–10	1241.11(1)	629.07	366.14	262.93	1504.04	149.32

प्रत्याभूति

संविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा लिये गये कर्जों और पूंजी के पुनर्भुगतान तथा उन पर देय ब्याज के भुगतान के लिये राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की स्थिति निम्नानुसार है :–

वर्ष	प्रत्याभूत राशि (केवल मूलधन)	बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
	(₹ करोड़ में)		
2005–06	1782.01	853.02	2.46
2006–07	2482.76	486.33	प्रतीक्षित
2007–08	2495.22	480.62	प्रतीक्षित
2008–09	3649.53	895.16	प्रतीक्षित
2009–10	4400.65	3337.53	33.81

अर्थोपाय पेशगियां

राज्य सरकार, अपनी तरलता स्थिति बनाये रखने एवं संवरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम लेती है तत्पश्चात, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ अपने लेखे में अनुबंधित न्यूनतम नगद शेष में जब कभी कमी हो, सीमा तक अधिविकर्षण आहरित करती है। सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ ₹ 0.72 करोड़ का न्यूनतम नगद शेष रखना आवश्यक है। इन अर्थोपाय पेशगियों की राशि की प्रचुरता तथा आहरणों या लिये जाने की अवधियों के महत्तम संख्या, राज्य सरकार के नगद शेष की प्रतिकूल स्थिति को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2004–05 से 2009–10 तक अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया गया।

(1) ₹ 1.16 करोड के प्रोफार्मा अन्तरण के कारण वर्ष 2009–10 के प्रारंभिक शेष के आंकड़ों में परिवर्तन किया गया ।

आकस्मिकता निधि

राज्य की आकस्मिकता निधि आकस्मिकताओं को परिपूर्ण करने हेतु बनाई गई है। निम्नलिखित विवरण वर्ष के दौरान इस निधि के उपयोग की सीमा दर्शाता है:–

	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
आकस्मिकता निधि से आहरणों की संख्या	16	22	32	14	9
आकस्मिकता निधि से कुल आहरण (₹ करोड़ में)	19.73	32.33	32.33	26.03	19.27
कुल बजट प्रावधान का आकस्मिकता निधि से आहरणों की प्रतिशतता	49.33%	80.82%	80.82%	65.08%	48.18%

नोटः–31 मार्च 2010 के दौरान आकस्मिकता निधि का निकाय ₹ 40.00 करोड़ था।

सामान्य रोकड़ शेष

राज्य शासकीय लेखे में प्रतिबिम्बित ₹ (–)5,55.06 करोड़ (जमा) के सामान्य रोकड़ शेष में रिजर्व बैंक में जमा ₹ (–) 5,54.81 करोड़ (जमा) तथा मार्गस्थ प्रेषण ₹ (–) 0.25 करोड़(जमा) सम्मिलित है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार अंतिम रोकड़ शेष ₹ 5,33.47 करोड़ था। ₹ 21.34 करोड़ का अंतर समाधानान्तर्गत था। 31 मार्च 2010 को रोकड़ शेष निवेश लेखा में ₹ 13,64.05 करोड़ का निवेश था।

31 मार्च 2010 को विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ ₹ 11.02 करोड़, स्थायी पेशगियां ₹ 0.29 करोड़ और पृथक् रक्षित निधियों में निवेश ₹ 7,49.36 करोड़ से मिलकर बनने वाला अन्य रोकड़ शेष और निवेश ₹ 7,60.67 करोड़ था।

छत्तीसगढ़ सरकार का वर्ष 2009–2010 का रोकड़ शेष वर्ष के प्रारंभ में ₹ (–) 3,48.68 करोड़ (जमा) और वर्ष के अन्त तक ₹ (–) 5,55.06 करोड़ (जमा) था। निधियों के स्त्रोतों एवं अनुप्रयोगों के विवरण निम्नानुसार है :–

(₹ करोड़ में)

स्त्रोत		
क्र	मदें	राशि
1.	प्रारंभिक रोकड़ शेष	(–)3,48.68
2.	संघ करों में राज्यों का अंश	43,80.66
3.	राज्यों का स्वयं का राजस्व संग्रहण	1,01,66.26
4.	ऋणों के अलावा केन्द्रीय अनुदान	36,06.74
5.	विविध प्राप्तियां	2.31
6.	लोक ऋणों, अल्प बचतें, जमा और पेशगियों से प्राप्तियां (केन्द्रीय ऋणों को छोडकर)	8,00.71
7.	केन्द्रीय ऋणों से प्राप्तियां	2,22.64
8.	उधार ग्रहीताओं से वसूलियां	9,92.43
9.	आकस्मिकता निधि से शुद्ध अंशदान	0.50
10	उचंत और विविध शेषों के समायोजन का शुद्ध प्रभाव एवं आरक्षित निधियों की वृद्धि/कमी	6,44.58
11	अंतर्राज्यीय परिशोधन	(–)0.25
योग		2,04,67.90

अनुप्रयोग				
क्र	मदें	राशि		
1.	राजस्व व्यय	योजनेत्तर 1,04,47.64	योजनागत 68,17.80	योग 1,72,65.44
2.	पूंजीगत व्यय	योजनेत्तर 0,12	योजनागत 27,44,80	योग 27,44.92
3.	ऋण एवं आग्रिमों का पुनर्भुगतान	केन्द्र को 1,15.81	अन्य को ..	योग 1,15.81
4.	दिये गये ऋण एवं अग्रिम	8,96.79		
5.	अंत रोकड़ शेष	(–)5,55.06		
योग		2,04,67.90		

अनुलग्नक—क

नियंत्रण अधिकारी जिनके द्वारा आंशिक पुनर्मिलान कार्य किया गया :—

1.	सचिव, सामान्य प्रशासन
2.	सचिव, लोक सेवा आयोग
3.	राज्यपाल के सचिव
4.	महानिदेशक, पुलिस
5.	महानिदेशक, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा
6.	महानिरीक्षक, जेल
7.	आयुक्त, पुनर्वास
8.	सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग वित्त
9.	सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा संसदीय कार्य
10.	आयुक्त, वाणिज्य कर
11.	सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
12.	सचिव, वित्त विभाग (राजस्व विभाग)
13.	आयुक्त, भू—अभिलेख एंव बंदोबस्त
14.	सचिव, परिवहन विभाग
15.	सचिव, वित्त विभाग (वन विभाग)
16.	सचिव, वित्त विभाग (कृषि)
17.	सचिव, वन विभाग
18.	प्रमुख वन संरक्षक (बजट एवं लेखा)
19.	मुख्य वन संरक्षक प्लान
20.	संचालक, भू—वैज्ञानिक एवं खनिज
21.	सचिव, ऊर्जा विभाग
22.	संचालक, कृषि
23.	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग
24.	आयुक्त, लोक शिक्षण
25.	संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा
26.	सचिव, वित्त विभाग (कानून एवं विधायी मामले)
27.	रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर
28.	प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
29.	संचालक, अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र विकास कार्यक्रम
30.	नियंत्रक, नापतौल
31.	संचालक, भाषा संचालनालय
32.	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन
33.	मुख्य अभियंता, जल संसाधन
34.	सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
35.	संचालक, पशु स्वास्थ्य सेवाएं
36.	सचिव, आयाकट विभाग
37.	संचालक, रोजगार एंव प्रशिक्षण
38.	आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग

अनुलग्नक – ख

नियंत्रण अधिकारी जिनके द्वारा पुनर्मिलान कार्य नहीं किया गया :–

1.	आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
2.	राज्य सत्कार अधिकारी
3.	महानिदेशक, प्रशासन अकादमी
4.	सचिव, लोक आयोग
5.	महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो
6.	सचिव, गृह विभाग
7.	संचालक, सैनिक कल्याण बोर्ड
8.	संचालक, राज्य लोक अभियोजन
9.	अधीक्षक, स्टेट गैरेज
10.	संचालक, राज्य संपदा संचालनालय
11.	सचिव, वित्त विभाग (गृह)
12.	सचिव, वित्त विभाग (कोष एवं लेखा)
13.	सचिव, वित्त विभाग
14.	संचालक, संस्थागत वित्त
15.	संचालक, लघु बचत एवं राज्य लॉटरी
16.	महालेखाकार, छत्तीसगढ़
17.	संचालक, वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना तकनीकी
18.	सचिव, वित्त आयोग
19.	महानिदेशक, पंजीयन
20.	सचिव, राजस्व विभाग
21.	सचिव, राजस्व बोर्ड
22.	आयुक्त, परिवहन
23.	संचालक, खेल एवं युवा कल्याण
24.	आयुक्त, उद्योग
25.	पंजीयक, फर्म एवं समितियां
26.	मुख्य निरीक्षक, बायलर
27.	सचिव, राजस्व विभाग (वन)
28.	संचालक, उद्यान
29.	श्रमायुक्त
30.	संचालक, कर्मचरी बीमा सेवाएं
31.	रजिस्ट्रार, औद्योगिक न्यायालय
32.	सचिव, वित्त विभाग (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)
33.	नियंत्रक, खाद्य एवं चिकित्सा प्रशासन
34.	संचालक, चिकित्सा शिक्षा (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)
35.	संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्वति एवं होमियोपैथी
36.	सचिव, वित्त विभाग (स्थानीय प्रशासन)
37.	संचालक, नगरीय प्रशासन
38.	सचिव, लोक निर्माण विभाग

39.	सचिव, वित्त विभाग (प्राथमिक शिक्षा)
40.	संचालक, राज्य शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिसर
41.	सचिव, विधि विभाग
42.	संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा (स्कूल शिक्षा)
43.	सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
44.	संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी
45.	सदस्य सचिव, राज्य योजना मंण्डल
46.	संचालक, मत्स्य पालन (जन संपर्क)
47.	संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण
48.	संचालक, अनुसूचित जाति विकास
49.	संचालक, आदिवासी विकास
50.	संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा (प्राथमिक शिक्षा)
51.	संचालक, समाज कल्याण
52.	आयुक्त, पुर्नवास
53.	नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
54.	सचिव, वित्त विभाग (संस्कृति)
55.	संचालक, पर्यटन
56	सचिव, गृह एवं पर्यावरण
57	सचिव, वित्त विभाग (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)
58	संचालक, मत्स्य (मत्स्य पालन)
59	आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा
60	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
61	उपायुक्त, रोजगार एवं संचालक जनशक्ति नियोजन
62	सचिव, 20 सूत्रीय कार्यक्रम
63	संचालक, उड़्डयन
64	संचालक, नगरीय प्रशासन
65	संचालक, नगरीय कल्याण
66	सचिव, संसदीय कार्य
67	संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा महिला एवं बाल विकास
68	संचालक, हथकरद्या
69	संचालक, रेशम
70	संचालक, चिकित्सा शिक्षा
71	संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्वति एवं होम्योपैथी (चिकित्सा शिक्षा)